फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 13.01.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में दिसंबर, 2020 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ दिसंबर, 2020 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034899

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का दिसंबर, 2020 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से दिसंबर, 2020 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96620 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56794 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 2096 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 876 आश्वासन लंबित हैं।

दिसंबर, 2020 मास के दौरान, 10 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 05 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

2. डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

दिसंबर, 2020 के दौरान, कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 1650 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

3. मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

18 दिसंबर, 2020 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न मदों पर चर्चा की गई।

4. लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

दिसंबर, 2020 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	1 दिसंबर को लंबित मामले	दिसंबर के दौरान प्राप्त उत्तर	दिसंबर के अंत में विचारधीनता
लोक सभा में नियम	108	46	62

377 के अंतर्गत उठाए गए मामले			
राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले	345	66	279

5. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है। स्कीम के अनुसार, राज्यों को अपने विधायी सदनों को "डिजिटल सदनों" के रूप में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे राज्य सरकार के विभागों के साथ कागज रहित मोड में सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर निष्पादित करने में सक्षम हो सकें।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

नवंबर माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर बिहार (दोनों सदन - विधानसभा और परिषद), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा), बिहार (विधान परिषद), नागालैंड और मणिपुर द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

दिसंबर, 2020 मास के दौरान, मणिपुर द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा की गई और उसे नेवा परियोजना की मंजूरी हेतु वित्तीय सलाहकार की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

6. **<u>परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन</u>**

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

दिसंबर, 2020 मास के दौरान, परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें आयोजित की गई। इसके अलावा, इस मास के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से 08 संसद सदस्यों के नामों को हटाया गया और सरकार द्वारा विभिन्न समितियों/बोर्डों/आयोगों पर 02 संसद सदस्यों को नामित किया गया। परामर्शदात्री समितियों की इस माह के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है और विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए और नामित किए गए सदस्यों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

7. **<u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>**

दिसंबर, 2020 के दौरान, राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 2350 विद्यालयों के पंजीकरण की समीक्षा की गई और इनमें से 78 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

8. **सोशल मीडिया**

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1735 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 4334 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 36014 हो गई है।

अनुबंध-I

दिसंबर, 2020 में परामर्शदात्री समितियों की बैठकों विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	सोमवार, 14 दिसंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	कोयला और खान। विषय कोयला मंत्रालय से संबंधित था।	कोयला खदनों के लिए प्रथम मील कनेक्टीविटी	53, संसद भवन
2	मंगलवार, 15 दिसंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	1. वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक 2. अंतर्देशीय जलयान विधेयक	आभासी माध्यम से
3	मंगलवार, 22 दिसंबर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट	आभासी माध्यम से
4	बुधवार, 23 दिसंबर, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे	जनजातीय कार्य	संविधान अनुसार जनजातीय क्षेत्रों का शासन और राज्यों की भूमिका	समिति कक्ष-बी, संसदीय सौध, नई दिल्ली
5	सोमवार, 28 दिसंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र	समिति कक्ष-बी, संसदीय सौध, नई दिल्ली
6	सोमवार, 28 दिसंबर, 2020 को अपराह्न 3.30 बजे	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	जलमयभूमि का बचाव और संरक्षण	समिति कक्ष-बी, संसदीय सौध, नई दिल्ली

उन सदस्यों का विवरण जिनके नामों का दिसंबर, 2020 के दौरान उनका देहांत होने के पश्चात विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से विलोप किया गया

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिन पर वे नामित थे	कारण
1	श्री अहमद पटेल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	रेल मंत्रालय	25.11.2020 को निधन होने के कारण

उन सदस्यों का विवरण जिनके नामों का दिसंबर, 2020 के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति होने के पश्चात विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से विलोप किया गया

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिन पर वे नामित थे	कारण
1	डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव	विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण
2	श्री जावेद अली खान	वित्त मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण
3	श्री पी.एस. पुनिया	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण
4	श्री रवि प्रकाश वर्मा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण
5	श्री राजाराम	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण
6	श्री वीर सिंह	विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण
7.	श्री राज बब्बर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण

संसद सदस्यों को दिसंबर, 2020 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित किया गया

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिस पर नामित किया गया है	अभ्युक्ति
1	श्री एच.डी. देवेगौड़ा संसद सदस्य (राज्य सभा)	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य
2	श्री अयोध्या रामी रेड्डी संसद सदस्य (राज्य सभा)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य